राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :— 3782/2025

मोती देवी मीना **—अपीलार्थी**

बनाम

1. शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर राजस्थान।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक, जयपुर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 05.08.2025
आदेश की दिनांक : 08.08.2025

उपस्थित —
अपीलार्थी की ओर से : श्री दिलीप सिंह कुरका, अभिभाषक

समक्ष :— चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।

2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में अध्यापक ग्रेड—ााा लेवल—ाा सामाजिक विज्ञान, के पद पर राजकीय प्राथमिक विद्यालय, खिजुरिया एहिरां, ब्लॉक बस्सी जिला जयपुर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 06.12.2024 (अनुलग्नक—2) के द्वारा अपीलार्थी को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सायपुर, आंधी से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सवाई माधोपुरा ब्लॉक चाकसू में स्थानान्तरण कर दिया गया तथा आदेश दिनांक 24.12.2024 (अनुलग्नक—3) के द्वारा वर्तमान पद पर स्थानान्तरण कर दिया गया, जहां पर अपीलार्थी ने दिनांक 28.12.2024 (अनुलग्नक—4) को कार्यग्रहण कर लिया। अपीलार्थी का पति भी राजकीय सेवा में व्याख्याता के पद पर दौसा जिलें कार्यरत है (अनुलग्नक—5)। अपीलार्थी का वर्तमान नियुक्ति स्थान अपीलार्थी के निवास स्थान से 90 कि.मी. दूर है। अपीलार्थी के सास—ससुर वृद्ध, उनकी देखभाल अपीलार्थी के द्वारा की जाती है। उनका कथन है कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जटवाड़ा, ब्लॉक बस्सी में अध्यापक ग्रेड—ााा लेवल—ााा सामाजिक विज्ञान का पद रिक्त है। अपीलार्थी वर्तमान नियुक्ति स्थान पर सूचारू रूप से कार्य करने की स्थिति में नहीं है। अपीलार्थी ने बस्सी ब्लॉक में रिक्त पद पर निवास स्थान के निकट ही तैनात किये जाने के लिए दिनांक 08.07.2025 (अनुलग्नक—1) के द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। जिस पर

प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर निर्णय लेने का निर्देश दिया जावे एवं अपीलार्थी को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जटवाड़ा ब्लॉक बस्सी जिला जयपुर में अध्यापक ग्रेड–III लेवल–II सामाजिक विज्ञान के रिक्त पद पर नियमित वेतन एवं समस्त लाभों के साथ नियुक्त किया जावे।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया गया। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

5. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए, अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित आधारों पर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 सप्ताह की अवधि में एक आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

6. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य